कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज.)

परीक्षा–2021 हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. सभी प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए अवधि 03 घण्टे से घटा कर $1\frac{1}{2}$ घण्टे (डेढ़ घण्टे) की गई है।
2. प्रश्नपत्र पुरानी पद्धति (पेटर्न) के अनुसार ही तीन खण्डों में मुद्रित रहेगा, परन्तु उसमें से परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने में यूनिट/इकाई/खण्डों तथा अथवा/OR की कोई बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्नपत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत अंक के प्रश्न–पत्र को ही हल करना होगा। 50 प्रतिशत अंक तक के कोई भी प्रश्न हल किये जा सकेगें। यथा–100 अंक वाले प्रश्नपत्र में 50 अंक, 80 अंक वाले प्रश्नपत्र में 40 अंक, 70 अंक वाले प्रश्नपत्र में 35 अंक, 75 अंक वाले प्रश्नपत्र में 38 अंक तथा उसी अनुपात में अंक विभाजन के निर्देश होगें। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तरपुस्तिका में हल किये गये सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा हल किये गपरीक्षक द्वारा मूल्यांकन किये गये 50 प्रतिशत प्रश्नों के अंकों को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।
3. सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के समय तथा परीक्षा केन्द्र में आने व जाने के समय एवं परिसर में भी सामाजिक दूरी की पालना की जानी है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति रहेगी। अतः समय से पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
6. परीक्षार्थी पेयजल हेतु स्वयं की बोतल तथा सेनेटाईज करने के लिए सेनेटाईजर स्वयं लेकर आयेगें।
7. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों के अलावा अन्य सभी का प्रवेश निषेध होगा।
8. परीक्षार्थियों के कोरोना पॉजिटिव होने या अन्य कारणों से क्वारंटाइन होने की स्थिति में उनके लिये **स्थिति सामान्य होने पर विशेष परीक्षा का आयोजन करवाया जायेगा।** ऐसे सभी परीक्षर्थियों को कोविड–19 संक्रमण के बचाव के कारण राइटर के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को उक्त स्थितियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज से जारी प्रमाण पत्र या सम्बन्धित जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी से कोविड–19 के फलस्वरूप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकने सम्बन्धी प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. बी.ए. भाग–तृतीय परीक्षा–2021 हेतु कोविड–19 के फलस्वरूप बैठक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, हिन्दी व इतिहास के प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्रों का समय 03:00 pm to 04:30 pm तथा अन्य प्रश्नपत्रों का समय दोपहर 12:00 pm to 01:30 pm रखा गया है। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र का गहनता से अध्ययन कर प्रवेश पत्र में अंकित दिनांक व समय से 01 घण्टा पूर्व ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो।
10. **प्रश्नपत्रों पर परीक्षा की अवधि 03 घण्टे अंकित है, जिसे घटा कर $1\frac{1}{2}$ घण्टे (डेढ़ घण्टे) घण्टे की गई है। अतः प्रश्नपत्र को 03 घण्टे के स्थान पर संशोधित अवधि $1\frac{1}{2}$ घण्टे में ही हल करना अनिवार्य है।**

11. बी.ए. एडिशनल, परीक्षा–2021 के परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार परीक्षा में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रविष्ठ होना सुनिश्चित करें।
12. जिन वैकल्पिक विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, किन्तु प्रायोगिक परीक्षाऐं कोविड–19 के कारण नहीं हो सकी हैं, ऐसे परीक्षार्थी अपनी प्रायोगिक परीक्षा के विषय से सम्बन्धित रिकॉर्ड / फाईल सम्बन्धित महाविद्यालय / परीक्षा केन्द्र पर शीघ्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।
13. कोविड–19 महामारी के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों (एडवाइजरी) की पालना सुनिश्चित करें।
14. स्नातक / स्नातकोत्तर / सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाये गये प्रायोगिक रिकार्ड / फाईल के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जावे, जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
15. जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-voce & Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन सम्बन्धित महाविद्यालय / विभाग द्वारा ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रणाली के आधार करवाये जावेगें। जिन परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षा आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक रिकार्ड / फाईल के आधार पर मूल्यांकित किया जाये।
16. कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना यथा–मास्क पहनना, सेनेटाईजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइजर करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेगें, ताकि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करते हुये परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।
17. फार्म नं. 24 (ई) में वर्णित श्रुतिलेखक के निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी को प्रदान किये जाने वाले अतिरिक्त समय एक घण्टे के स्थान पर आधा घण्टा किया जाता है।

परीक्षा नियंत्रक